



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं० - 1668 वर्ष 2026

कौशल कुमार पाण्डेय उर्फ कौशल किशोर पाण्डेय

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 19 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : हरीश कुमार त्रिपाठी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय सं० - 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, सदर गोरखपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-08-2025 के विरुद्ध, याची ने प्रत्यर्थी सं० 2/आयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर के समक्ष रोक आवेदन के साथ उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(4) के अधीन कानूनी अपील सं० 2101 वर्ष 2025 (कम्प्यूटर मामला सं० सी202505000002101) (कौशल कुमार पाण्डेय उर्फ कौशल किशोर तथा अन्य बनाम अनिरुद्ध राय तथा अन्य) अधिमामित किया है। यह तर्क दिया गया है कि याची के रोक आवेदन को प्रत्यर्थी सं० 2 के आदेश दिनांक 21-08-2025 द्वारा तात्त्विक तथ्यों पर विचार किये बिना नामंजूर किया गया है। कुछ बहस के पश्चात, अंततोगत्वा प्रत्यर्थी सं० 2 को पूर्वोक्त अपील का शीघ्रता से विनिश्चय करने का निदेश देने के लिए याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है।

2. इस अनुरोध का विरोध विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा श्री सुधीर भारती, गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है।

3. मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी सं० 2/ आयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर या अवर न्यायालय जिसके समक्ष अपील लंबित है को उपर्युक्त का विनिश्चय शीघ्रता से लेकिन किसी पक्षकार को कोई अनावश्यक स्थगन दिये बिना करने का निदेश देते हुए वर्तमान याचिका को निपटाया जाता है जब तक कोई विधिक बाधा न हो।

जनवरी 21, 2026

(प्रकाश पाड़िया,

न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"